रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 525] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 17, 1980/कार्तिक 26, 1902
No. 525] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 17, 1980/KARTIKA 26, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1980

का. आ. 897(अ) :—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घरेलू विद्युत साधित्र (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम घरेलू विद्युत साधित्र (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1980 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. घरेलू विद्युत साधित्र (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 1976 के खण्ड 11 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"11 अपील—(1) खण्ड 4 के उप-खण्ड (1) के पैरा (ग) के अधीन किसी

घरेलू विद्युत साधित्र के अभिग्रहण से व्यथित कोई व्यक्ति, उस तारीख से, जिसको ऐसे साधित्र का अभिग्रहण किया जाता है, तीस दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय रहते अपील फाइल करने में किसी पर्याप्त कारण से रोका गया था तो वह उपरोक्त अवधि के अवसान के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकती है ।"

(2) केन्द्रीय सरकार, उप-खण्ड (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर, अपीलार्थी को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकती है जैसा वह ठीक समझे ।

[सं. एस. एस. आई. (1)-29/(1)/80]
आर. श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 17th November, 1980

S.O. 897(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Household Electrical Appliances (Quality Control) Order, 1976, namely :—

1. (1) This Order may be called the Household Electrical Appliances (Quality Control) Amendment Order, 1980.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. (1) In the Household Electrical Appliances (Quality Control) Order, 1976, for clause 11, the following clause shall be substituted, namely:—

"11. Appeal :—Any person aggrieved by the seizure of any household electrical appliance under paragraph (c) of sub-clause (1) of clause 4 may appeal to the Central Government within thirty days of the date on which such appliance is seized :

Provided that the Central Government may admit any appeal after the expiry of the period aforesaid, if it is satisfied that the appellant was prevented by a sufficient cause from not filing the appeal in time."

(2) On receipt of the appeal under sub-clause (1), the Central Government may, after giving appellant an opportunity of being heard pass such Order as it may deem fit.

[No. SSI(I)-29(1)/80]
R. SRINIVASAN, Joint Secretary.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980